

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

सभाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

शुक्रवार, 21 अगस्त, 1998/श्रावण 30, 1920 शक

संख्या : 418

1. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की प्रथम विधान सभा के सोसइवें सत्र का प्रारम्भ

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की प्रथम विधान सभा का 16वां सत्र वृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 1998 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारम्भ होगा।

2. सोसइवें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आर्बटन

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 24, 25, 28 एवं 30 सितम्बर, 1998 के लिये निर्धारित की गई हैं।

3. विधान सभा की बैठकों का समय

जब तक कि अध्यक्ष महोदय अन्यथा आदेश न दें, विधान सभा की बैठकें 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ होगी और तब तक चलती रहेगी, जब तक कि उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये।

4. प्रश्नों के नोटिस एवं बैलेट

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विषयक नियम-33 के अधीन समस्त माननीय सदस्यों को प्रश्नों की सूचनाएं भेजते समय स्पष्ट रूप से कम से कम 12 दिन का समय देना आवश्यक है। नियम 36 के अंतर्गत सदस्य अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सहित एक दिन के लिये केवल पांच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं। यदि कोई सदस्य एक दिन के लिये पांच से ज्यादा प्रश्नों की सूचनाएं देता है तो उनकी पहली पांच सूचनाएं स्वीकृत की जाएंगी और बाकी सूचनाएं अस्वीकृत समझी जाएंगी।

5. सोतहवें सत्र में दोरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन ॥नियम-37॥

मंत्रियों द्वारा सोतहवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिये निम्नानुसार दिनों का निर्धारण किया गया है :-

क्र.सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कालिम-2 में दर्शाए गए विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि	मौलिक रूप से पूरे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये बैठेदिंग की तिथि
1.	प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सतर्कता, श्रम, उच्च शिक्षा, विधि एवं न्याय, विकास	24.9.98	10.9.98 अप. 3.00 बजे तक	10.9.98 अप. 5.00 बजे
2.	गृह, राजस्व, योजना, सहकारिता, खाद्य अपमिश्रण, कारागार, सेवाएं, परिवहन, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, पर्यटन, चुनाव	25.9.98	11.9.98 अप. 3.00 बजे तक	11.9.98 अप. 5.00 बजे
3.	खाद्य एवं संभरण, जन-सम्पर्क, बिक्री कर, गुस्दारा चुनाव, वित्त, शहरी विकास, समाज कल्याण, रोजगार, आबकारी	28.9.98	14.9.98 अप. 3.00 बजे तक	14.9.98 अप. 5.00 बजे
4.	भूमि एवं भवन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग, भाषा, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन	30.9.98	16.9.98 अप. 3.00 बजे तक	16.9.98 अप. 5.00 बजे

टिप्पणी :-

1. सोलहवें सत्र के लिये प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी।
2. सदस्य एक दिन में तारांकित, अतारांकित प्रश्नों सहित केवल पांच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं।
3. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि यदि विभिन्न विभागों का तम-3 एवं 4 के अनुसार से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होती है तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेंगी। सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है।
4. जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचार की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। ऐसे जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
5. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक से अधिक सदस्य एक ही तरह के विषयों से संबंधित प्रश्नों की सूचना देते हैं। बाद में प्राप्त की गई सूचनाएं, यदि मूल रूप में एक ही विषय अथवा मामले से संबंधित हों तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा। §नियम-31§7§.
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत अवश्य दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय प्रश्नों की सूचना प्राप्त होने के समय के अनुसार किया जायेगा।
7. प्रश्नों की बैलेटिंग प्रत्येक के समक्ष दर्शायी गई तिथियों को सचिव के कक्ष में अपराह्न 5.00 बजे होगी। सदस्यों से अनुरोध है कि बैलेटिंग के लिये नियत किये गये दिनों पर प्रश्नों की सूचना की बैलेटिंग को देखने का कष्ट करें।
8. सदस्यगण कृपया यह भी ध्यान रखें कि चूंकि दिल्ली नगर निगम का विधिवत् गठन हो चुका है इसलिये इसके दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं। ऐसे प्रश्न नियम 31§Xiii§ के अन्तर्गत अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

॥प॥ विधान सभा सूचना कार्यालय सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिये उत्तरदायी है । अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें । यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

॥ड॥ विधान सभा सूचना कार्यालय द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करने के लिये विनिर्दिष्ट समय उनके लिये उल्लिखित तिथियों को प्रातः 9.30 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच है । सूचना कार्यालय में अपराह्न 3.00 बजे के बाद दी गई सूचनाओं को अगले कार्य दिवस को प्रातः 9.30 बजे दिया गया माना जायेगा । इसका अभिप्राय सदस्यों को डाक द्वारा सचिव को संबोधित सूचनाएं भेजने की सुविधा से वंचित करना नहीं है ।

॥9॥ दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र

सदस्यों का ध्यान दर्शक दीर्घा में प्रवेश संबंधी विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 291 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है । इसके साथ-साथ निर्देशों में व्यवस्था है कि दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन पत्र, जिस दिन के लिये प्रवेश पत्र चाहिये, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जायें । उदाहरणार्थ 24.9.1998 को होने वाली सदन की बैठक के लिये दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् दिनांक 23.9.1998 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्रों पर कार्रवाई की जाएगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किए जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश-पत्र जारी नहीं किये जायेंगे ।

दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतया उसी दिन जारी नहीं किये जायेंगे ।

टिप्पणी: सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों को दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र जारी करें, जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भाँति जानते हों ।

॥ १० ॥ सदन में उचित अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में सेलुलर टेलीफोन, पेजर्स अथवा वैद्युत उपकरण इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि लेकर न आयें । यदि उनके पास इस प्रकार के उपकरण हों तो वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि जब वे सदन में हों तो ऐसे उपकरणों का स्विच बन्द रखें ।

टिप्पणी:

समय और व्यवस्थित ढंग से सदन के कार्य निष्पादन के उद्देश्य से माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने में अपना योगदान दें ।

सदस्यों का सहयोग प्रार्थनीय है ।

पी.एन. गुप्ता
सचिव

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

॥ सोलहवां सत्र ॥

बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

24 सितम्बर, 1998	वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
25 सितम्बर, 1998	शुक्रवार	गैर सरकारी कार्य
26 सितम्बर, 1998	शनिवार	अवकाश
27 सितम्बर, 1998	रविवार	अवकाश
28 सितम्बर, 1998	सोमवार	सरकारी कार्य
29 सितम्बर, 1998	मंगलवार	अवकाश ॥ महा अष्टमी ॥
30 सितम्बर, 1998	बुधवार	सरकारी कार्य

.....

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

(BULLETIN PART - II)

(General Information relating to Legislative and other matters)

Friday, August 21, 1998 / Shravan 30, 1920 (Saka)

NO. 418

(1) COMMENCEMENT OF THE SIXTEENTH SESSION OF THE FIRST LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

Members are informed that the Sixteenth Session of the First Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on **Thursday, 24-9-1998 at 2-00 P.M.** in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

(2) ALLOTMENT OF DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING SIXTEENTH SESSION.

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for **24, 25, 28 and 30-9-1998.**

(3) TIME OF SITTING OF LEGISLATIVE ASSEMBLY

The sitting of the Legislative Assembly shall commence at **2-00 P.M.** and continue till it is adjourned for the day, unless the Speaker directs otherwise.

(4) NOTICES OF QUESTIONS AND HOLDING OF BALLOT

Under Rule 33 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, not less than 12 days clear notice of questions is required to be given by the Members. Under Rule 36, the Members may give notice of only five questions in a day including Short Notice Questions, Starred Questions and Unstarred Questions. In case any Member gives notice of more than five questions on any day, his first five notices will be taken up and the remaining notices shall be deemed to have been rejected.

(5)

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING
THE SIXTEENTH SESSION (RULE 37)

For the Sixteenth Session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been set out as under:-

S.No.	Departments	Date of sitting	Last Date for receipt of Question for the Department in Col.2	Date of holding ballot for determination of priority for oral answers
1.	Administrative Reforms, General Administration, Education, Technical Education, Vigilance, Labour, Higher Education, Law & Justice, Development.	24-9-98	10-9-98 upto 3-00 P.M.	10-9-98 at 5-00 P.M.
2.	Home, Revenue, Planning, Cooperative, Prevention of Food Adulteration, Jails, Services, Transport, Health & Family Welfare, Tourism, Election.	25-9-98	11-9-98 upto 3-00 P.M.	11-9-98 at 5-00 P.M.
3.	Food & Supplies, Public Relations, Sales Tax, Gurudwara Elections, Finance, Urban Development, Social Welfare, Employment, Excise.	28-9-98	14-9-98 upto 3-00 P.M.	14-9-98 at 5-00 P.M.
4.	Land & Building, Irrigation & Flood Control, Industries, Language, Welfare of SC/ST, Environment, Forest & Wildlife.	30-9-98	16-9-98 upto 3-00 P.M.	16-9-98 at 5-00 P.M.

- NOTE: (i) Notices of Questions for the Sixteenth Session will be received with immediate effect.
- (ii) A Member may give notices of upto five questions in a day including Starred and Unstarred Questions.
- (iii) Member may kindly note that if notice of any question is received after the last date and time in respect of various departments vide Col.3 and 4 on pre-page, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of Notices shall be upto 3.00 P.M.
- (iv) Where the question draws a reference to a news item published in a national or local daily, the question, in order to be admissible, must be accompanied by the relevant clipping of the news item. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.
- (v) The clubbing of questions will be done in case several notices of questions on the same subject matter are received. Notices of questions subsequently received and repeating in substance the same subject matter are liable to be disallowed (Rule 31 (vii)).
- (vi) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of question. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- (vii) Ballot will be held in the room of the Secretary at 5.00 PM on the dates indicated against each. Members are requested to kindly make it convenient to witness the balloting of notice of questions on the dates fixed for the purpose.
- (viii) Members may kindly note that since the Municipal Corporation of Delhi has been duly constituted, notices of questions relating to its day to day administration and functioning may not be entertained. The same are liable

(6)

AM on the next working day. This is not intended to preclude the members from sending notices addressed to the Secretary by post.

(9)

VISITORS GALLERY PASS

Attention of the Members is invited to the directions issued by Hon'ble Speaker under Rule 291 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly with regard to admission to the Visitors Gallery. The directions inter alia provided that application forms for the issue of Visitors Gallery Passes must be submitted by 5.00 PM on the working day previous to the date for which the Gallery Passes meant for sitting of the House on 24.9.98 will be accepted upto 5.00 PM on the earlier day i.e. 23.9.1998. Similarly, applications for Gallery Passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the Visitors Gallery being limited, not more than two Passes shall be issued to a Member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

NOTE: Members are requested to recommend issue of Gallery Passes for those Visitors whose antecedents are well known to them.

(10) IN ORDER TO MAINTAIN PROPER DECORUM IN THE HOUSE ALL MEMBERS ARE REQUESTED NOT TO BRING CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. IN THE HOUSE. IF THEY ARE IN POSSESSION THEREOF THEY MAY KINDLY ENSURE THAT IT IS KEPT SWITCHED OFF WHILE THEY ARE IN THE HOUSE.

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

(SIXTEENTH SESSION)

PROVISIONAL CALENDAR OF SITTINGS

24 September, 1998	Thursday	Government Business
25 September, 1998	Friday	Private Members' Business
26 September, 1998	Saturday	Holiday
27 September, 1998	Sunday	Holiday
28 September, 1998	Monday	Government Business
29 September, 1998	Tuesday	Holiday (Mahaashtmi)
30 September, 1998	Wednesday	Government Business

* * *

IN THE INTEREST OF TIMELY AND ORDERLY
TRANSACTION OF BUSINESS OF THE HOUSE,
HON'BLE MEMBERS ARE REQUESTED TO KINDLY
COOPERATE IN MAINTAINING THE DIGNITY AND
DECORUM OF THE HOUSE.

Kind cooperation of Members is solicited.

P.N. GUPTA
SECRETARY